

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं तहसील हुजूर जिला भोपाल

क्रमांक / /अविअ/री-2/18
प्रति,

भोपाल दिनांक


1. आयुक्त
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा,भोपाल
2. उप नियंत्रक
शासकीय मुद्रणालय होशंगाबाद रोड,भोपाल

विषय:- भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ 82/17-18 रामगंज मंडी ब्यावरा-भोपाल बडी रेल लाईन परियोजना के लिये भू-अर्जन हेतु धारा 11 की अधिसूचना का प्रकाशन कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के प्रकरण क्रमांक 07/अ 82/17-18 ग्राम मुगंलिया हाट का कुल रकबा 07.454 हे० भूमि का अर्जन रामगंज मंडी ब्यावरा-भोपाल बडी रेल लाईन परियोजना के लिये भू-अर्जन हेतु धारा 11 की अधिसूचना का आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।


2- कृपया निवेदन है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन इस सप्ताह प्रकाशित होने वाले म० प्र० राजपत्र/दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित होने वाले राजपत्र एवं दोनो स्थानीय समाचार पत्रों की एक-एक प्रति प्रकरण के संदर्भ हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध का कष्ट करें।

संलग्न :- 6 प्रतियां प्रकाशनार्थ
(प्रारंभिक अधिसूचना)


अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू- अर्जन अधिकारी
तहसील हुजूर भोपाल
भोपाल दिनांक 21/05/18

पृ०क्र० / 548 अविअ/री-2/18
प्रतिलिपि:-

1. डिप्टी चीफ इंजिनियर/सी-।।। वेस्ट सेन्ट्रल रेल्वे कोटा की ओर सूचनार्थ कृपया आप अधिनियम की धारा 11 की घोषणा का प्रकाशन समाचार पत्र में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
 2. अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला- भोपाल की ओर सूचनार्थ। कृपया अधिनियम की धारा 11 की अधिसूचना का प्रकाशन संबंधित क्षेत्र सार्वजनिक स्थान पर दो अशासकीय गवाहों दो अशासकीय गवाहों कि उपस्थिति में संबंधित थाना ग्राम पंचायत एवं कलेक्टर कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन कराया जाकर तामिल सुनिश्चित करें एवं कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
 3. जिला पंजीयक, जिला भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त खसरा नम्बरों का भू- अर्जन होने से क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।
 4. उप पंजीयक, जिला भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त खसरा नम्बरों का भू- अर्जन होने से क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। 5
 5. प्रभारी अधिकारी, एन०आई०सी० शाखा, जिला कार्यालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि समुचित सरकार की बेबसाईट www.bhopal.nic.in पर प्रारंभिक अधिसूचना अपलोड करने का कष्ट करें।
- संलग्न :- प्रारंभिक अधिसूचना


अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू- अर्जन अधिकारी
तहसील हुजूर भोपाल

कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 06/अ-82/2017-18

भोपाल दिनांक 21/5/18

प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे.में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.
भोपाल	हुजूर	मुंगालियाहाट	7.454 हे०	डिप्टी चीफ इंजीनियर/सी-111, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, कोटा	रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1.	2.	3.	4.	5.
1.	घुडीलाल आ० सालिगराम	653/2/1/1मेंसे 660 कुल-2 किता	0.520 0.920 1.440	0.153 0.093 0.246
2.	मेसर्स राजधानी एग्रो प्रोडक्ट्स लि० द्वारा दौलतराम दांगी आ० गंगाराम	653/2/1/2	0.202	0.196
3.	टेकचन्द आ० शीतलदास साबलानी	653/1/क	0.600	0.015
4.	नीलेश ,अमित,कीर्ति,राखी पिता दिलीप खण्डेलवाल, साजिन,हेमन्त, शेशल, राजेन्द्र आ० बृजमोहनखण्डेलवाल	654 655 कुल-2 किता	0.180 0.820 1.000	0.143 0.382 0.525
5.	घीसीबाई वि० उमरावसिंह	663/6	0.160	0.002

6.	रामबाबू,जितेन्द्र, अरविन्द पुत्रगण दशरथलाल,सम्पतबाई बेवा दशरथलाल	675 / 1	0.815	0.044
7.	लीलाबाई वि० प्रभुलाल, भंवरजी, बैजनाथ,महेश सुमित्रा बाई, धनकुवरबाई,रामकुंवरबाई विद्याबाई पुत्र पुत्रियां, भागीरथ,	658	1.310	0.004
		659	0.630	0.366
		कुल -2 किता	1.940	0.370
8.	प्रेमनारायण , कमलेश, सुगनबाई, आ० इमरतलाल, अजुदियाबाई वि० इमरतलाल,राधेश्याम पिता पन्नालाल	671	0.230	0.176
		673	1.010	0.024
		कुल-2 किता	1.240	0.200
9.	हरिओम आ० परमानन्द नि. ग्राम	706	0.070	0.060
		707	0.260	0.208
		कुल-2 किता	0.330	0.268
10.	हरगोविन्द आ० लक्ष्मीनारायण नि० ग्राम	703	0.730	0.212
		704	0.600	0.296
		705	0.180	0.141
		कुल 3 किता	1.510	0.649
11.	राधेकिशन आ० हीरालाल नि० ग्राम	722	0.150	0.070
		723	0.200	0.197
		724	0.750	0.510
		725	0.980	0.154
		726	0.350	0.233
		कुल-6	2.430	1.164
12.	शैतानबाई वि० सालिगराम, लक्ष्मीनारायण, परमानन्द, आ० सालिगराम नि० ग्राम	670	1.300	0.692
		727	0.440	0.094
		कुल-2 किता	1.740	0.786
13.	खुशीलाल आ० रामरतन नि. ग्राम	686	1.200	0.007
14.	लक्ष्मीनारायण आ० सालिगराम नि० ग्राम	687	0.160	0.024
		718	0.710	0.044
		कुल-2	0.870	0.068
15.	रघुवीरसिंह ,बद्रीप्रसाद, गोविन्दप्रसाद आ० बाबूलाल रामकुंवरबाई पति बाबूलाल	672	0.440	0.361

16.	हरिनारायण आ० देवीलाल साहू नि० ग्राम	700	1.520	0.580
		701/1	0.180	0.017
		702/1	0.520	0.404
		कुल 3 किता	2.220	1.001
17.	प्रभूलाल आ० देवीलाल साहू नि. ग्राम	702/2	0.520	0.080
18.	रामबाबू आ० झुन्नूलाल नि. ग्राम	695/1	0.870	0.380
19.	जमनाप्रसाद आ० झुन्नूलाल साहू नि. ग्राम	694	1.010	0.037
		695/2	1.290	0.410
		कुल-2किता	2.300	0.447
20.	यादवेन्द्र आ० राधाकिशन पाटीदार नि० ग्राम	765	1.300	0.470
21.	विकास अग्रवाल आ० रमेशचन्द्र	766	0.890	0.175
	कुल योग	किता-	24.017	7.454

चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा एसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

समुचित सरकार की वेबसाईट www.bhopal.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डॉ. सुदाम खांडे)
कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग